राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जल पथ, गांधीनगर, जयपुर।

एफ11(3)117 / मो. / मबावि / आईसीडीएस / 2017–18 5605-5646 जयपुर दिनांक 7-5-18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018 (01 मई से 30 जून 2018 तक) में राजस्व संबंधी मुकदमों / कार्यो के साथ विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के संबंध में।

सन्दर्भः–इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 67256–321 दिनांक 25.04.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 दिनांक 01 मई से 30 जून 2018 तक चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें सम्बन्धित ब्लॉक अधिकारी / कार्मिक संचालित शिविर में उपस्थित होकर विभाग से सम्बन्धित सूचनाओं का पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में संकलित करने के निर्देश दिये गये थे।

प्राद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा दिनांक 30.04.2018 को आयोजित वीडियो कॉफ्रेन्स में दिये गये निर्देशों के संदर्भ में पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक शिविर की सूचना शिविर समाप्ति के समय संकलित कर शिविर प्रभारी (एस.डी.ओ) के यूजर आई.डी के माध्यम से विभागीय सूचनाओं की प्रगति का अपडेशन कराना सुनिश्चित करावें।

साथ ही शिविर में उपस्थित विभागीय अधिकारी / कार्मिक द्वारा शिविर समाप्ति पर विभागीय सूचनाओं का 'न्याय आपके द्वार' पोर्टल पर समन्वय कर अपडेशन निश्चित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करावें। अन्यथा शिविर समाप्ति उपरान्त समयावधि के पश्चात पोर्टल पर सूचनाओं का अपडेशन किसी भी स्तर पर किया जाना सम्भव नही होगा।

अतः न्याय आपके द्वार पोर्टल पर विभागीय सूचनाओं का अपडेशन समयावधि में न करने व सूचना शून्य प्रदर्शित होने पर आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

एफ11(3)117 / मो. / मबावि / आईसीडीएस / 2017–18 7536-8412 जयपुर,दिनांक 7-5-18
प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1) राज. सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपनिदेशक से समन्वय स्थापित कर न्याय आपके द्वार पोर्टल पर अपडेशन निश्चित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

अति. निदेशक (आई.)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर